पत्रांक-बजट/आव/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषयः- **चालू वित्तय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0005-भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, विपत्र कोड सं०-48-2217800010005 के अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद तथा सहायक अनुदान गैर वेतन मद में कुल रूपये 56352780.00 (पांच करोड़ तिरसठ लाख बावन हजार सात सौ अस्सी रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनादि/ मानदेय एवं अन्य मदों में व्यय हेतु सहायक अनुदान-वेतन मद तथा सहायक अनुदान गैर वेतन मद में कुल रू० 56352780.00 (पांच करोड़ तिरसठ लाख बावन हजार सात सौ अस्सी रूपये) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः-

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	0005-31-04 सहायक अनुदान-वेतन	29550180.00
2	0005-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	26802600.00
	योग-	**56352780.00**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि रू० 56352780.00 (पांच करोड़ तिरसठ लाख बावन हजार सात सौ अस्सी रूपये) मात्र ।

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण के PL खाता सं०- ***PBBPLA002*** के HOA संख्या-***00-8448-00-120-0064-00-01*** में CFMS के माध्यम से ***Inter Departmental*** विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त तालिका में स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-06.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि रू० 56352780.00 (पांच करोड़ तिरसठ लाख बावन हजार सात सौ अस्सी रूपये) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0005-भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, विपत्र कोड सं०-48-2217800010005 अंर्तगत विषय शीर्ष-31.04 सहायक अनूदान वेतन मद में रू० 29550180.00 (दो करोड़ पिचानवे लाख पचास हजार एक सौ अस्सी रूपये) मात्र एवं विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनूदान गैर वेतन मद में रू० 26802600.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख दो हजार छह सौ रूपये) मात्र की निकासी की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाए अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकास एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति e संचिका संख्या- बजट/आव/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT के Note No-03 पर दिनांक-15.07.2026को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note No-07 पर दिनांक-16.07.2026 को प्राप्त है।

9. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/सचिव, भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण (आर०ई०आर०ए०)/वित्त विभाग (बजट शाखो) तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- बजट/आव/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT 104 /न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक- 17/07/26

प्रतिलिपिः-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/सचिव, भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण (आर०ई०आर०ए०)/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 06, नगर विकास एंव आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।